



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail: irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476

& 2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई  
Mumbai - 400 001

सं.क्र. 7/14/2022/IR&W/Vol.II / 5633

अप्रैल 28, 2023

**कार्यालय जापन OFFICE MEMORANDUM**

विषय: सीएचएसएस मुंबई में अवैतनिक/ अंशकालिक कंसलटेंट को  
Subject: सीएचएसएस लाभप्रदान करने के संबंध में।  
Extending CHSS benefits to Honorary/Part-time  
Consultants at CHSS Mumbai – regarding.

सीएचएसएस मुंबई में अवैतनिक/ अंशकालिक कंसलटेंट को सीएचएसएस लाभदेने की समीक्षा के लिए विभाग में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

Reference has been received in the Department for review of extending CHSS benefits to Honorary/Part-time Consultants at CHSS Mumbai.

2. सीएचएसएस नियम संख्या 2.1.14 के अनुसार योजना के लिए नियुक्त अवैतनिक/ अंशकालिक चिकित्सक (उनके परिवार नहीं) उनके विकल्प पर योजना में शामिल हो सकते हैं जो नियुक्ति के एक महीने के भीतर प्रयोग किया जाएगा। देय मानदेय के संदर्भ के बिना अधिकतम निर्धारित दरों पर उनसे अंशदान की वसूली की जाएगी। उनकी पात्रता श्रेणी "डी" (अनुलग्नक-1) के अनुसार होगी। एक बार बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग करने के बाद, इसे विभाग में उनकी नियुक्ति अवधि के दौरान अंतिम माना जाएगा।

*As per CHSS Rule No.2.1.14 Honorary/Part-time medical staff appointed for the Scheme (not their families) may join the Scheme at their option which shall be exercised within one month of appointment. Contributions shall be recovered from them at the maximum prescribed rates without reference to the honorarium payable. Their entitlement will be as per Category "D" (Annexure-I). Once an option is exercised to opt out, it shall be treated as final during the term of their engagement in the Department.*

3. समिति ने इस संबंध में नियमों पर विचार किया और पाया कि वर्तमान में चिकित्सकों को प्रति घंटा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जो कि एक संविदात्मक समझौता है इसलिए सीएचएसएस के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

The committee deliberated upon the rule and observed that presently Consultants are hired on hourly basis, which is a contractual agreement and cannot be considered for the CHSS.

4. मामले पर विभाग में विचार किया गया और सीएचएसएस नियमावली, 1998 की धारा संख्या 2.1.14 को हटाने का निर्णय लिया गया है।

The matter has been considered in the Department and it has been decided to **delete** the clause no. 2.1.14 of CHSS Rules, 1998.

5. यह कार्यालय ज्ञापन इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of issue.

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

अजीता थरियन  
28/04/2023  
(अजीता थरियन Ajitha Thariyan)

अवर सचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) / Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख  
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय

O/o JS(A&A). DAE

परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण

DAE Darpan